समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-04 /आ0प्र0, दिनांक-02-08-2014 द्वारा सूचित किया गया है कि कोशी नदी की उद्गम स्थल पर भारी वर्षापात् एवं भू-स्खलन के कारण धारा अवरूद्ध हो गयी है, जिसे नेपाल सरकार द्वारा हटाये जाने पर 10 मीटर की ऊंचाई में धारा का प्रवाह होगा, जिससे कोशी नदी के अंदर तथा पूर्वी तटबंध पर विशेष दवाब बन सकता है एवं उससे क्षेत्र की खासी आबादी प्रभावित हो सकती है, फलस्वरूप कोशी तटबंध के अंदर बसी आवादी को ऊंची जगह पर निष्क्रमित कर रिलिफ कैम्प विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संचालित /प्रभावित क्षेत्र में लगातार गश्ती एवं स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का निदेश प्राप्त है। इस लिए सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा /सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी /सिविल सर्जन /सभी अभियंता /सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारियों का सभी प्रकार के आकस्मिक अवकाश को अगले आदेश तक के लिए रद्द किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने मुख्यालय में ससमय उपस्थित रहेंगे तथा किसी भी प्रकार के आपात्कालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 242 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 3.8.14

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा /सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी /सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता, आपदा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

03/08/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।